न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री बाबुलाल जाट, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 98/2019 दायर दिनाँक 25.03.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोरधनराम पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी हरनारायण वास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुरजाराम पुत्र मोहनाराम 2. दुलाराम पुत्र मोहनाराम 3. नन्दाराम पुत्र मोहनाराम 4. रामगोपाल पुत्र मोहनाराम 5. लक्ष्मी पुत्री रतनलाल पत्नी रामचन्द्र समस्त जाति माली निवासीगण हरनारायण वास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 6. कमला देवी पत्नी कानाराम जाति माली निवासी हरनारायणबास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह, वकील, वादी।
2. श्री वी0पी0सिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, ता 06 की ओर से।

दिनाँक 20.06.2019

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 05 की पैत्रिक सम्पति की भूमि वाके सरहद अमरपुरा खेत खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा व खसरा सं0 170 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 146 रकबा 05 बिस्वा व खसरा सं0 150 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 59 बीघा 06 बिस्वा है। जिस भूमि में स्व0 मोहना के सभी पुत्रों का 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भुमि पैत्रिक सम्पति होने से स्व0 मोहना के सभी वारिसान वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 05 का 1/5–1/: हिस्सा अनुसार अरसे दराज से काश्त करते आये है। मगर अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवाद लक्ष्मी का वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मगर वादी की प्रतिवादी लक्ष्मी बडी बहन होने के कारण राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज हो गया। मगर प्रतिवादी लक्ष्मी ने कभी वादग्रस्त हिस्से में काश्त नहीं

Scanned by CamScanner

की। सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा पर वादी अकेला काश्त कातस है। इसलिए वादी ने 1/5 हिस्सा अपने नाम करवाने हेतु वाद बाबत घोषणा खातेदारी का पेश है।

वादग्रस्त पैत्रिक सम्पत्ति की होने से पक्षकरान के मध्य अरसे पहले मौके पर बंट कर सींवे नीवें कायम कर ली एवं सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादी नन्दाराम ने अपने हिस्से 1/5 में से खसरा नम्बर 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में 178/735 यानि 08 बीघा 18 बिस्वा भूमि को जरिये विक्रय पत्र के प्रतिवादी कमला को बेचाण कर दी व वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी कमला देवी का नाम दर्ज हो गया।

वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 05 निम्न प्रकार से अपने-अपने हिस्से पर काबिज है।

वादी गोरधनराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद अमरपुरा के खेत खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा व खसरा सं0 150 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा में से 1/5 हिस्सा यानि 11 बीघा 17 बिस्वा नजरी नक्शा में मार्क "क" भाग वादी गोरधनराम के बंट व कब्जे काश्त में है।

प्रतिवादी सुरजाराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद अमरपुरा के खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा व खसरा सं0 150 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा में से 1/5 हिस्सा नजरी नक्शा में मार्क "ख" भाग प्रतिवादी सुरजाराम के बंट व कब्जे काश्त में है।

प्रतिवादी दुलाराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद अमरपुरा के खसरा सं0 170 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण व बाकी खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 1/5 हिस्सा के अनुसार यानि 04 बीघा 07 बिस्वा बंट व कब्जे काश्त में नजरी नक्शा में मार्क "ग" के अनुसार रहेगा।

प्रतिवादी नन्दाराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद अमरपुरा के खेत खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 1/5 हिस्सा के अनुसार प्रतिवादी नन्दाराम ने अपने हिस्सा की भूमि में से 178/735 हिस्सा यानि 08 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी कमला देवी को बेचाण कर दी। शेष 02 बीघा 19 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा में मार्क "घ" के अनुसार बंट व कब्जे काश्त में रहेगी।

प्रतिवादी रामगोपाल के बंट की भूमि :-वाके सरहद अमरपुरा के खेत खसरा सं0 150 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा में से 1/5 हिस्सा के अनुसार 11 बीघा 17 बिस्वा बंट व कब्जे काश्त में नजरी नक्शा में मार्क "च" के अनुसार रहेगी।

प्रतिवादी कमला देवी के बंट की भूमि :- वाके सरहद अमरपुरा के खेत खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से नन्दाराम द्वारा अपने हिस्से में से बेची गई भूमि 08 बीघा 18 बिस्वा नजरी नक्शा में मार्क "छ" के अनुसार दर्शाई भूमि प्रतिवादी कमलादेवी के बंट व कब्जे काश्त में रहेगी।

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या 98/2019
दायर दिनाँक 25.03.2019, निर्णय दिनाँक 20.06.2019
गोरधनराम बनाम सुरजाराम वगैरा।

वाके सरहद अमरपुरा के खेत खसरा सं0 146 रकबा 05 बिस्वा गै0मु0 ढाणी वादी व प्रतिवादी 01 ता 04 सुरजाराम, दुलाराम व नन्दाराम व रामगोपाल के संयुक्त खातेदारी में यथावत रहेगी। उपरोक्त अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 अपने-अपने हिस्सों पर काबिज है। वाद के साथ नजरी नक्शा अनुसूची "अ" प्रस्तुत है, जो दावा अहम हिस्सा है। नजरी नक्शा में मार्क ए ता बी आपसी सहमति में 12 फुट चौडा रास्ता कायम कर रखा है। रास्ते की भूमि सभी पक्षकारान के हिस्से में से कम होगी। उपरोक्त अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 व 06 अपने अपने हिस्सा पर कब्जे होने के कारण बंटवारा करवाने के अधिकारी है। इसलिए उक्त वाद बाबत बंटवारा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि अमरपुरा के खेत खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 170 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 146 रकबा 05 बिस्वा व खसरा सं0 150 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 59 बीघा 06 बिस्वा में से 1/5 हिस्सा में वादी का नाम खातेदारी में घोषित किया जावें व प्रतिवादिनी लक्ष्मी का नाम राजस्व रेकर्ड से पृथक किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 05 ने इकबालिया जवाब पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 व 06 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री अजीतसिंह ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री वी0पी0सिंह ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र पेश हुआ।

राजीनामा के मुताबिक- राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "ब" में दर्शित अनुसार बंटवारा किया जावें।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय राजीनामा पेश किया। राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किये जाने में पक्षकारान् सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वाद में राजीनामा पेश हुआ है जिसके मुताबिक पक्षकारान् खातेदारी चाहते हैं। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 98/2019
दायर दिनाँक 25.03.2019, निर्णय दिनाँक 20.06.2019
गोरधनराम बनाम सुरजाराम वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद अमरपुरा की वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "ब", में दर्शित भूमि माफिक खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि–

वादी गोरधनराम के बंट में वाके सरहद अमरपुरा के खसरा संख्या 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 11 बीघा 06 बिस्वा प्रतिवादी सुरजाराम के दक्षिण में चिपता ही व खसरा संख्या 150 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा में से प्रतिवादी रामगोपाल के हिस्से के पूर्वी 07 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसूची "ब" अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सुरजाराम के बंट में वाके सरहद अमरपुरा के खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 09 बीघा 09 बिस्वा उत्तरी व पूर्वी व खसरा संख्या 150 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा में से प्रतिवादी रामगोपाल के पूर्वी हिस्सा 02 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसूची "ब" अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी दुलाराम के बंट में वाके सरहद अमरपुरा के खसरा संख 170 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा संख्या 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 04 बीघा 03 बिस्वा कटाणी रास्ते से चिपता ही पूर्वी कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसूची "ब" अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी नन्दाराम के बंट में वाके सरहद अमरपुरा के खसरा संख्या 146 रकबा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 02 बीघा 10 बिस्वा वादी गोरधन से चिपता ही दक्षिण में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा नन्दाराम द्वारा खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से कमला देवी को बेचान की गई भूमि 08 बीघा 18 बिस्वा नजरी नक्शा "ब" अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी रामगोपाल के बंट में वाके सरहद अमरपुरा के खसरा सं0 150 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा में से 11 बीघा 13 बिस्वा उत्तरी व पश्चिमी भाग नजरी नक्शा "ब" अनुसार स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा सं0 150 में से 12 बिस्वा व खसरा सं0 147 में से 09 बिस्वा जिसकी चौडाई 12 फुट है जो रास्ता सभी के लिए काम में लिया जायेगा।

नजरी नक्शा अनुसूचि 'ब" निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(बाबुलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक **20.06.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री बाबुलाल जाट, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 98/2019 दायर दिनाँक 25.03.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोरधनराम पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी हरनारायण बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुरजाराम पुत्र मोहनाराम 2. दुलाराम पुत्र मोहनाराम 3. नन्दाराम पुत्र मोहनाराम 4. रामगोपाल पुत्र मोहनाराम 5. लक्ष्मी पुत्री रतनलाल पत्नी रामचन्द्र समस्त जाति माली निवासीगण हरनारायण बास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 6. कमला देवी पत्नी कानाराम जाति माली निवासी हरनारायणबास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक 20.06.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह, वकील, वादी व श्री वी0पी0 सिंह वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, ता 06 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद अमरपुरा की वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "ब", में दर्शित भूमि माफिक खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि :–

वादी गोरधनराम के बंट में वाके सरहद अमरपुरा के खसरा संख्या 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 11 बीघा 06 बिस्वा प्रतिवादी सुरजाराम के दक्षिण में चिपता ही व खसरा संख्या 150 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा में से प्रतिवादी रामगोपाल के हिस्से के पूर्वी 07 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसूची "ब" अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सुरजाराम के बंट में वाके सरहद अमरपुरा के खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 09 बीघा 09 बिस्वा उत्तरी व पूर्वी व खसरा संख्या 150 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा में से प्रतिवादी रामगोपाल के पूर्वी हिस्सा 02 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसूची "ब" अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी दुलाराम के बंट में वाके सरहद अमरपुरा के खसरा संख 170 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा संख्या 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 04 बीघा 03 बिस्वा कटाणी रास्ते से चिपता ही पूर्वी कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसूची "ब" अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी नन्दाराम के बंट में वाके सरहद अमरपुरा के खसरा संख्या 146 रकबा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 02 बीघा 10 बिस्वा वादी गोरधन से चिपता ही दक्षिण में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा नन्दाराम द्वारा खसरा सं0 147 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से कमला देवी को बेचान की गई भूमि 08 बीघा 18 बिस्वा नजरी नक्शा "ब" अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी रामगोपाल के बंट में वाके सरहद अमरपुरा के खसरा सं0 150 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा में से 11 बीघा 13 बिस्वा उत्तरी व पश्चिमी भाग नजरी नक्शा "ब" अनुसार स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा सं0 150 में से 12 बिस्वा व खसरा सं0 147 में से 09 बिस्वा जिसकी चौडाई 12 फुट है जो रास्ता सभी के लिए काम में लिया जायेगा।

नजरी नक्शा अनुसूचि 'ब" निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **20.06.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिरा कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		
मिजान					

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner